पत्र संख्याः 1/सी0 –1009/2019–सा0प्र0–1175 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार(ले. एवं ह.),
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 22 जनवरी, 2020

विषयः– दिनांक 01.01.2016 और उसके बाद भा0प्र0से0 में प्रवेशित राज्य असैनिक सेवा (एस सी एस)/गैर–राज्य असैनिक सेवा (नॉन–एस सी एस) के पदाधिकारियों के वेतन के निर्धारण के संबंध में ।

प्रसंगः– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–17611 दिनांक 27.12.2019 और भवदीय अर्द्धसरकारी पत्र संख्या–090120200108321 दिनांक 09.01.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–17611 दिनांक 27.12.2019 द्वारा भा0प्र0से0 में प्रवेशन के बाद आरंभिक निर्धारण के समय वेतन स्तर–12 और 13 में निर्धारित वेतन से संबद्ध विषयगत पदाधिकारियों की उन स्तरों में वास्तविक प्रोन्नति होने पर उनके वेतन के निर्धारण हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–11030/4/2015–ए आई एस– ।। दिनांक 03.12.2019 के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध प्रेषित किया गया था। इस संदर्भ में भवदीय पत्र दिनांक 09.01.2020 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से वेतन स्तर–12 और 13 में वास्तविक प्रोन्नति के उपरान्त वेतन निर्धारण हेतु उदाहरण सहित प्रक्रिया की अपेक्षा की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के संगत पत्र दिनांक –6.3.2019 में आरंभिक रुप से वेतन स्तर–11 में निर्धारित वेतन को वेतन स्तर–12 की वास्तविक प्रोन्नति के बाद के निर्धारण की प्रक्रिया को एक उदाहरण के रुप में दर्शाया गया है। तत्पश्चात्, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का पत्र दिनांक 3.12.2019 में स्पष्ट किया गया है कि वास्तविक प्रोन्नति होने पर आरंभिक रुप से वेतन स्तर–12 और 13 में रखे गये पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण वेतन स्तर–11 के अनुरुप ही होगा। भारत सरकार के दोनों पत्रों की प्रतियाँ भवदीय कार्यालय को पूर्व से प्रेषित हैं।

3. भारत सरकार के पत्र दिनांक 6.3.2019 के उपर्युक्त उदाहरण में आरंभिक रुप से वेतन स्तर–11 के ₹ 1,22,600/– के प्रक्रम पर रखे गये वेतन को आरंभिक निर्धारण के लिए यदि वेतन स्तर–12 और 13 में रखा जाता है, तो उन स्तरों में उसका पक्रम क्रमशः ₹ 1,22,900/–

और ₹ 1,23,100/— होगा। वेतन स्तर—12 और 13 में वास्तविक प्रोन्नति के बाद उक्त वेतन प्रक्रमों का निर्धारण निम्नवत् किया जा सकता है:—

(क) वेतन स्तर—12 में वास्तविक प्रोन्नति से संबंधित उदाहरण

आरंभिक निर्धारण का वेतन स्तर और प्रक्रम	अपर सचिव (वेतन स्तर—12) में प्रोन्नति के बाद का निर्धारण
स्तर—12—1,22,900/— (अपर सचिव स्तर) लेवल—12	वेतन स्तर—11 का अनुमान्य प्रक्रम—1,26,300/— वेतन स्तर—11 की एक वेतनवृद्धि के बाद का प्रक्रम—1,30,100/— वेतन स्तर—12 का अनुमान्य प्रक्रम—1,30,400/— वेतन स्तर—12 में दो वेतनवृद्धि के बाद के प्रक्रम—1,34,300/— (i) 1,38,300/—(ii)
स्तर—13—1,23,100/— (विशेष सचिव स्तर) लेवल—13	वेतन स्तर—11 का अनुमान्य प्रक्रम—1,26,300/— वेतन स्तर—11 की एक वेतनवृद्धि के बाद का प्रक्रम—1,30,100/— वेतन स्तर—12 का अनुमान्य प्रक्रम—1,30,400/— वेतन स्तर—12 में दो वेतनवृद्धि के बाद के प्रक्रम—1,34,300/— (i) 1,38,300/—(ii) वेतन स्तर—13 का अनुमान्य प्रक्रम—1,38,500/—

(ख) वेतन स्तर—13 में वास्तविक प्रोन्नति से संबंधित उदाहरण

आरंभिक निर्धारण का स्तर	एवं अपर सचिव स्तर(वेतन स्तर —12) में वास्तविक प्रोन्नति के बाद निर्धारित प्रक्रम	विशेष सचिव (वेतन स्तर—13) में प्रोन्नति के बाद का निर्धारण
स्तर—11	1,34,300/—	वेतन स्तर—12 में एक वेतन वृद्धि के बाद का प्रक्रम—1,38,300/— वेतन स्तर—13 का अनुमान्य प्रक्रम—1,38,500/— वेतन स्तर—13 में दो वेतनवृद्धि के बाद के प्रक्रम—1,42,700/— (i) 1,47,000/—(ii)
स्तर—12	1,38,300/—	वेतन स्तर—12 में एक वेतन वृद्धि के बाद का प्रक्रम—1,42,400/— वेतन स्तर—13 का अनुमान्य प्रक्रम—1,42,700/— वेतन स्तर—13 में दो वेतनवृद्धि के बाद के प्रक्रम—1,47,000/— (i) 1,51,400/—(ii)
स्तर—13	1,38,500/—	वेतन स्तर—12 का अनुमान्य प्रक्रम—1,42,400/— वेतन स्तर—12 में एक वेतनवृद्धि के बाद का प्रक्रम—1,46,700/— वेतन स्तर—13 का अनुमान्य प्रक्रम—1,47,000/— वेतन स्तर—13 में दो वेतनवृद्धि के बाद के प्रक्रम—1,51,400/— (i) 1,55,900/—(ii)

4. अतः अनुरोध है कि विषयगत राज्य असैनिक सेवा और गैर–राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के संबंध में अपेक्षित वेतन का निर्धारण तत्काल उपर्युक्त उदाहरणों के अनुरुप करने की कृपा की जाय। इस संबंध में भारत सरकार से निदेश प्राप्त होने पर उक्त निर्धारण तदनुसार, पुनरीक्षित होंगे।

विश्वासभाजन

22-01.2020

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक– *1/सी0 –1009/2019–सा0प्र0–...1175....../पटना–15, दिनांक 22 जनवरी, 2020*

प्रतिलिपिः–श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता, अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली– 110 001 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.01.2020

सरकार के अवर सचिव ।